किसी अपराध में बच्चे के पकड़े जाने पर पुलिस और अन्य ऐजंसियों को किस प्रकार कार्य करना है–

(किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से जारी नियम)

1. जैसे ही कानून के लिए वांछित लड़के को पुलिस की ओर से पकड़ा जाता है, संबंधित अधिकारी निम्नलिखित को सूचित करेगा।
   - ❖ मामला निकटस्थ पुलिस थाने में तैनात बाल कल्याण अधिकारी के सुपुर्द किया जाएगा।
   - ❖ बच्चे के मां–बाप/संरक्षक को सूचित किया जाएगा और उन्हे जिस किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है उसका पता, प्रस्तुत किए जाने की तारीख और समय बताया जाएगा।
   - ❖ बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि और उसके अपराध करने की परिस्थितियों के संबंध में जानकारी किशोर न्याय बोर्ड के जांच अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

2. बच्चे को अपने तुरंत बाद बाल कल्याण अधिकारी को सौंप दिया जाएगा और बाल कल्याण अधिकारी ही 24 घंटे के भीतर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करेगा। अगर थाने में बाल कल्याण अधिकारी तैनात नही है तो जिस पुलिस अधिकारी ने बच्चे को हिरासत में लिया है वही उसे बोर्ड के सामने पेश करेगा।

3. बच्चे को हिरासत में लिए जाने के बाद उसे किसी भी हाल में लॉकअप में नहीं रखा जाएगा और बिना विलंब बाल कल्याण अधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

4. जिले के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस ईकाई अधिकारी की सूची हर पुलिस स्टेशन में उनके फोन नंबर ईत्यादि सहित बोर्ड पर टंगी होनी चाहिए।

5. बच्चे के बारे में अधिकतम उपलब्ध जानकारी हासिल करने के लिए बाल कल्याण अधिकारी बच्चे के माता–पिता/संरक्षक से संपर्क करें। माता–पिता/संरक्षक बच्चे के कानून तोड़ने और उसके व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

6. प्रत्येक किशोर के कानून तोड़ने संबंधी केस डायरी किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश की जाएगी जिसमें बाल कल्याण अधिकारी की ओर से बच्चे की सामाजिक पृष्टभूमि और परिस्थिति का वर्णन होगा जिसमें बच्चे ने जुर्म किया होगा।

7. बाल कल्याण अधिकारी या पुलिस का कोई अन्य अधिकारी बच्चे को तभी हिरासत में लेगा, जब उसने कोई ऐसा अपराध किया हो कि उस अपराध को कोई व्यस्क करता तो उसे 7 साल से ज्यादा सजा होती।

8. ऐसे मामलों में जिनमें बच्चे को हिरासत में लेना बच्चे के ही हित में हो, बाल कल्याण अधिकारी बच्चे के साथ इस तरह व्यवहार करेगा कि जैसे उसको देखभाल और संरक्षण की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बाल कल्याण अधिकारी स्पष्ट करेगा कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है और बोर्ड से नियम 13 (1) (बी) के अंतर्गत उचित आदेश की मांग करेगा।

9. जिन मामलों में व्यस्क को 7 वर्ष से कम सजा होती हो, ऐसे मामलों को बच्चों के संदर्भ में गंभीर किस्म का नहीं माना जाता और इन मामलों में बच्चों के सर्वोच्च हित में उसके मां–बाप/संरक्षक को उसकी ओर से किए गए अपराध की सूचना दी जाएगी। किशोर न्याय बोर्ड को भी बच्चे की सामाजिक, आर्थिक पृष्टभूमि का वर्णन करते हुए सूचना दी जाएगी। बच्चे को केस की सुनवाई के लिए बुलाने का अधिकार बोर्ड को होगा।

10. अगर किशोर न्याय बोर्ड की बैठक ना हो रही हो तो किशोर न्याय अधिनियम के अनुच्छेद 5 (2) के अंतर्गत बच्चे को बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष पेश किया जाएगा।

11. अगर बच्चे ने कोई गंभीर किस्म का अपराध ना किया हो तों बच्चे के खिलाफ एफ0आई0आर0 या चार्जशीट दाखिल नही की जाएगी और सामान्य दैनिक डायरी में बच्चे की ओर से किए गए अपराध को दायर किया जाएगा जिसमें बच्चे की सामाजिक पृष्टभूमि और अपराध करने की परिस्थितियों का जिक्र होगा और उसे किशोर न्याय बोर्ड की पहली ही सुनवाई के समय प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन बलात्कार, हत्या या किसी व्यस्क के साथ मिलकर अपराध किया गया हो तो एफ0आई0आर0 दायर की जाएगी।

12. राज्य सरकार ऐसे स्वयंसेवी संगठनों की शिनाखत करेगी जो बच्चों के मामले में बाल कल्याण अधिकारी, विशेष पुलिस किशोर ईकाई को बच्चे की पृष्टभूमि जानने, बच्चे के साथ बातचीत करने, उस की सामाजिक पृष्टभूमि की रिपोर्ट तैयार करने और उन परिस्थितियों की जानकारी हासिल करने में पुलिस की मदद करेगी, जो पुलिस के लिए जरूरी हों। ऐसे स्वयंसेवी संगठन हिरासत में लिए गए बच्चे को 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व बच्चे को अपने नियंत्रण में रखेंगे।

13. बाल कल्याण अधिकारी और संबंधित मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठन इस कार्यकाल में बच्चे की सुरक्षा उसके भोजन और मूलभूत जरूरतों की पूर्ति करेंगे।

14. अगर बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष पेश करके आदेश लिए जाते हैं तो किशोर न्याय बोर्ड की आगामी बैठक में उन आदेशों की पुष्टि करवानी होगी।